

प्रेस नोट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर दिनांक 23.09.2024

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने व रुपये लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष थाना चौरी-चौरा के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल राव मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 357/24 धारा 419,420,467,468,471 भादवि से संबंधित अभियुक्त अशोक कुमार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

वादिनी मुकदमा को दिल्ली एम्स मे नर्सिंग आफिसर के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर अभियुक्त द्वारा वादिनी से 750,000 रुपये लेकर अवैध व कूटरचित नियुक्ति पत्र देने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम,पता व आपराधिक इतिहास-

अशोक कुमार पुत्र स्व0 रामहरख निवासी दुधई सरदारनगर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 357/24 धारा 419,420,467,468,471 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 718/2024 धारा 406,504,506 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 राहुल राव थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
2. का0 ओमप्रकाश थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर